न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 216/2017/225 आर टी ए

रामजस पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी 3 एमजेडी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 136/2016 बअनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि

उपस्थित :–

श्री राजेश कुमार छिम्पा अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 2

निर्णय दिनांकः–18.06.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प रतनपुरा के पेश होने का कथन किया तथा मौके से जांच रिपोर्ट तलब करने का कथन कर चक 3 एमजेडी तहसील संगरिया के प.न. 171/182 के मु. न. 36 कि.न. 2 मे 0.015 है0 डीएलसी की दुगुनी राशि जमा कराये जाने पर रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि चक 3 एमजेडी के प.न. 171/182 मु.न. 36 कि.न. 2/0.015 है0 रास्ता जिस जगह पर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

स्वीकृत किया गया है, वहां पर अपीलांट के खेजडी का बड़ा वृक्ष है यदि उस स्थान पर रास्ता चालू कर दिया जाता है तो अपीलांट का खेजडी का वृक्ष नष्ट हो जायेगा जिससे अपीलांट को भारी नुकसान होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 148/2016 अनवानी विजय सिंह बनाम धर्मपाल आदि प्रस्तुत हुआ जिसमे भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2017 को चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि मे अपीलांट की भी 2 बीघा भूमि थी उसमे भी रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 ने जिस भूमि लिए रास्ता का अनुतोष चाहा गया है, उस भूमि के चिपते हुए प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है और रेस्पो0 सं. 1 की भूमि के लिए उक्त पर्याप्त रास्ता है तो अपीलांट की भूमि मे पृथक से मुरब्बा न. 36 के कि.न. 2 मे रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता नही थी। अपीलांट की भूमि मे अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो तरफ रास्ता स्वीकृत कर दिया है। अपीलांट एक लघु कृषक है जिससे उसकी बेकीमती भूमि रास्ते मे दोनो तरफ अनावश्यक चली जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प रतनपुरा मे पारित किया है। राजस्व लोक अदालत मे सभी पक्षकारो की सहमति से तथा मुताबिक राजीनाम आदेश पारित किया जाना चाहिए था ताकि आईन्दा से पक्षकारो के मध्य कोई विवाद ना हो परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा तौर पर उक्त आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की कर प्रार्थना पत्र संख्या 136/2016 अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.17 को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर चक 3 एमजेडी तहसील संगरिया के प.न. 171/182 के मु.न. 36 कि.न. 2 मे 0.015 है0 स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलांट द्वारा जो वैकल्पिक रास्ता होने के कथन किये गये है वह रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 को अपनी खातेदारी भूमि रास्ता की परम

आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए रास्ता स्वीकार किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर चक 3 एमजेडी तहसील संगरिया के प.न. 171/182 के मु.न. 36 कि.न. 2 मे 0.015 है0 रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालन कैम्प मे अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय के जरिये रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। जबकि प्रश्नगत रास्ता जिस भूमि जगह पर स्वीकृत किया गया है उस रास्ते के बीच मे एक खेजडी का पेड़ है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट है तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 148/2016 अनवानी विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि जिसमे भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.06.2017 को चक 3 एमजेडी के प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। उक्त भूमि मे अपीलांट की भी 2 बीघा भूमि थी उसमे भी रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 ने जिस भूमि लिए रास्ता का अनुतोष चाहा गया है, उस भूमि के चिपते हुए प.न. 170/182 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है और रेस्पो0 सं. 1 की भूमि के लिए उक्त पर्याप्त रास्ता है तो अपीलांट की भूमि मे पृथक से मुरब्बा न. 36 के कि.न. 2 मे रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता नही थी। अपीलांट की भूमि मे अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो तरफ रास्ता स्वीकृत कर दिया है। इस प्रकार अपीलांट की भूमि के दोनो तरफ रास्ते स्वीकृत किये गये है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो प्रकरणो (अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस एवं अनवानी विजयसिंह बनाम धर्मपाल आदि) मे एक साथ मौका की जांच के आधार पर दोनो ही पत्रावलियों मे रास्ता की आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए रास्ते स्वीकृत किये जाने चाहिए थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। जबकि प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने बाबत अपीलांट सहमत नही था इसके बावजूद भी अपीलांट को अपने पक्ष रखने बाबत कोई अवसर प्रदान नही किया गया। प्रश्नगत प्रस्तावित रास्ते के अलावा

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अन्य वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा वैकल्पिक रास्ता के बिन्दू को भी ध्यान रखा जाना चाहिए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत ही रास्ता के प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 136/2016 अनवानी धर्मपाल बनाम रामजस आदि एवं प्रकरण संख्या 148/2016 दोनो प्रकरणो मे एक साथ उभय पक्षो को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण करवाया जाकर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत दोनो प्रकरणो मे एक साथ पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official